

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

**भादूविप्रा ने "आरआरटीएस कॉरिडोर के लिए ट्रेन नियंत्रण प्रणाली हेतु 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) की स्पेक्ट्रम आवश्यकताओं" पर अनुशंसाए जारी कीं**

**नई दिल्ली, 28 दिसंबर 2022** - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज "आरआरटीएस कॉरिडोर के लिए ट्रेन नियंत्रण प्रणाली हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) की स्पेक्ट्रम आवश्यकताओं" पर अनुशंसाए जारी की हैं।

2. दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने अपने पत्र दिनांक 29.11.2021 के माध्यम से भादूविप्रा से निम्नलिखित प्रस्तुत करने की मांग की थी:

- i. एनसीआरटीसी को स्पेक्ट्रम के प्रशासनिक असाइनमेंट तथा 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में एनसीआरटीसी की अलग स्पेक्ट्रम आवश्यकताओं के लिए उसकी मात्रा, मूल्य निर्धारण/चार्जिंग और किसी भी अन्य नियम और शर्तों पर अनुशंसाए;
- ii. अन्य आरआरटीएस / मेट्रो रेल नेटवर्क पैन-इंडिया के लिए समान स्पेक्ट्रम के असाइनमेंट सहित, इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली कोई अन्य अनुशंसाए।

3. इस संबंध में, 'आरआरटीएस कॉरिडोर के लिए ट्रेन नियंत्रण प्रणाली हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) की स्पेक्ट्रम आवश्यकताएं' पर दिनांक 09.06.2022 को एक परामर्श पत्र जारी किया गया था। 20 हितधारकों से टिप्पणियां और 1 हितधारक से प्रति-टिप्पणी प्राप्त हुई थी। वर्चुअल मोड के माध्यम से दिनांक 25.08.2022 को एक ओपन हाउस चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई थी।

4. हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों तथा अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर, भादूविप्रा ने 'आरआरटीएस कॉरिडोर के लिए ट्रेन नियंत्रण प्रणाली हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) की स्पेक्ट्रम आवश्यकताओं' पर अपनी अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिया है।

5. इन अनुशंसाओं की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- क. रेलवे ट्रैक के किनारे आरआरटीएस कॉरिडोर में उपयोग हेतु 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज (युग्मित) स्पेक्ट्रम को एनसीआरटीसी को सौंपा जाए। एनसीआरटीसी को सौंपी जाने वाली फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, भारतीय रेलवे को 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में सौंपे गए फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के सन्निकट होगी।
- ख. एनसीआरटीसी को सौंपे गए फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को अन्य आरआरटीएस/मेट्रो रेल नेटवर्क को भी सौंपा जा सकता है, जो भौगोलिक रूप से अलग हैं और एक दूसरे के लिए कोई व्यतिकरण पैदा करने की संभावना नहीं रखते हैं।

- ग. गैर-व्यतिकरण के आधार पर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को समान फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम (एनसीआरटीसी और अन्य आरआरटीएस/मेट्रो रेल नेटवर्क को सौंपा गया) प्रदान करने की संभाव्यता का पता लगाने हेतु, दूरसंचार विभाग की देखरेख में रेल मंत्रालय और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को शामिल करते हुए एक फील्ड परीक्षण किया जा सकता है।
- घ. रेडियो एक्सेस नेटवर्क (आरएएन) साझा करने की संभाव्यता का पता लगाने हेतु, डीओटी की देखरेख में भारतीय रेलवे और एनसीआरटीसी को शामिल करते हुए रेल मंत्रालय द्वारा मल्टी-ऑपरेटर कोर नेटवर्क (एमओसीएन) के माध्यम से आरएएन साझाकरण का फील्ड परीक्षण किया जा सकता है।
- ङ. रेलवे नेटवर्क हेतु कैप्टिव नॉन-पब्लिक नेटवर्क (सीएनपीएन-आर) के लिए अनुमति/लाइसेंस की एक अलग श्रेणी बनाई जा सकती है। हालांकि, सीएनपीएन-आर के लिए अनुमति/लाइसेंस व्यवस्था को बहुत सरल और आसान रखा जा सकता है।
- च. स्पेक्ट्रम चार्जिंग तंत्र तथा भुगतान की शर्तें:
- I. 10 वर्षों के आवंटन के लिए नीलामी निर्धारित मूल्य, संबंधित एलएसए हेतु 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड के लिए नवीनतम 2022 नीलामी में खोजे गए नीलामी निर्धारित मूल्य के 0.5 गुना (आधा गुना) के बराबर होना चाहिए।
  - II. संबंधित एलएसए की नीलामी निर्धारित कीमत जिसके माध्यम से आरआरटीएस/मेट्रो रेल नेटवर्क गुजरता है, उसे एक बेंचमार्क के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और एक विशेष एलएसए के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष कॉरिडोर क्षेत्र के लिए यथानुपात आधार पर समायोजित किया जाना चाहिए।
  - III. भविष्य की स्पेक्ट्रम आवश्यकता के मामले में, एक स्पष्ट रोड-मैप तैयार करने के लिए, इसी तरह की पद्धति अन्य आरआरटीएस/ मेट्रो रेल नेटवर्क के साथ-साथ मौजूदा आरआरटीएस/ मेट्रो रेल नेटवर्क पर भी लागू होगी।
  - IV. भुगतान की शर्तें लचीली होंगी, जिसमें पूर्ण अग्रिम भुगतान, आंशिक अग्रिम भुगतान के साथ-साथ समान वार्षिक किश्तों के विकल्प उपलब्ध होंगे।
6. अनुशंसाओं को भादूविप्रा की वेबसाइट [www.trai.gov.in](http://www.trai.gov.in) पर प्रस्तुत किया गया है। स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, यदि कोई हो, श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भादूविप्रा से टेलीफोन नंबर +91-11-23210481 पर संपर्क किया जा सकता है या [advmn@trai.gov.in](mailto:advmn@trai.gov.in) पर ईमेल किया जा सकता है।

ह/-

(वि. रघुनंदन)  
सचिव, भादूविप्रा